

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

28/5/2024

रेगु देवी

पुत्र

Prakash

28/5/24

पत्रा. पैडा दुई / वादिनी मय वकील के उप.
वकील वादिनी द्वारा प्राथना-पत्र आदेश
23 नियम / आ.डी. के तहत पैडा किया।
वकील का कहना है कि वादिनी द्वारा
दावा पैडा करते समय कुछ कमियां
रह गई थीं। तथा कुछ प्रश्नकारों के
शामिल नहीं किया गया था। अतः
दावा को विद्वी करने के एवं पुनः दावा
प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करने
क्या करें। हमने वादिनी मय वकील
को सुना। प्राथना का प्राथना-पत्र
स्वीकार किया जाकर दावा को हकी
सद पर विद्वी/खारिज किया जाता है
तथा वादिनी को प्रेश-शूट की
अनुमति प्रदान की जाती है।

पुत्रावली प्रथम कुमार
दोहर दाखिल गकर है

